M-11015/177/2022-CB
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

11th Floor, Jeevan Prakash Building,
K. G. Marg, New Delhi
Dated: 19th July, 2021

Subject: Minutes of the second meeting of Central Empowered Committee (CEC) of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) held on 30.06.2022

Please find attached herewith a copy of the minutes of the second meeting of CEC of Revamped RGSA held on 30/06/2022 at Conference Room, 9th floor, Jeevan Bharati Building, New Delhi under the Chairmanship of Secretary (PR) for information and necessary action.

Pankaj

(Pankaj Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. 011 – 2375 3817

To,

(i) All members of the Central Executive Committee (CEC)
(ii) All participants of the meeting

Copy to: PS to JS(RY)

Copy also to. Shri Sudhansu, NIC cell for uploading in the Ministry's website

Panchayati Raj

30 जून 2022 को आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की दूसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दूसरी बैठक 30 जून, 2022 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-IV** में दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने सीईसी बैठक के एजेंडे की संक्षिप्त जानकारी दी।

इसके बाद, सचिव, पीआर और सीईसी के अध्यक्ष ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्राप्ति के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और इस संबंध में तीनों स्तरों पर पीआरआई के कार्य निष्पादन का मानचित्रण किया जाना चाहिए। इसके अलावा सचिव, पीआर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी नियोजन प्रक्रिया के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है और व्यावहारिक अनुभवों के लिए कम से कम आधे दिन के लिए नियमित रूप से फील्ड विजिट/एक्सपोजर विजिट आयोजित किए जाने चाहिए। सचिव, पीआर ने कहा कि क्षेत्र के समर्थकों को गुणवत्तापूर्ण पंचायत विकास योजना (पीडीपी) तैयार करने और पंचायतों में स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) को बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए आगे आना होगा।

<u>एजेंडा-1</u>: ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना

1.1 सीईसी को अवगत किया गया कि ई-पंचायत (एमएमपी) पर मिशन मोड परियोजना, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और बदलने की दृष्टि से पीआरआई को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीकों में बदलने के लिए पुनर्निर्मित आरजीएसए का एक केंद्रीय घटक है। आरजीएसए योजना के तहत ई-पंचायत एमएमपी के लिए 20 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय (बीई 2022-23) है। वर्ष 2022-23 में, ई-ग्राम स्वराज के संचालन और रखरखाव/संवर्धन के अलावा प्रणालियों को और मजबूत करने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए कई संवर्द्धन और विकास कार्य (रिपोर्टिंग डैशबोर्ड का विकास, आम तौर पर

सामना किए जाने वाले मुद्दों आदि को हल करने के लिए चैटबॉट सहित) शामिल होंगे। एनआईसी/एनआईसीएसआई ने वर्ष 2022-23 के लिए ई-ग्राम स्वराज और अन्य ई-पंचायत अनुप्रयोगों के रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए 19.99 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

क्रम सं.	घटक	लागत (रु. में)
1.	एनपीएमयू	रु. 4,11,65,810/-
2.	अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री	रु. 11,07,75,950/-
3.	साइबर सुरक्षा ऑडिट	रु.22,15,520/-
4.	हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर	रु. 3,80,40,017/-
5.	क्षमता निर्माण	रु.30,55,492/-
6.	विविध / आकस्मिकताएँ	रु.47,42,780/-
परियोजना कुल		**रु. 19,99,95,569/-**

1.2 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया गया और उपरोक्त पैरा 1.1 में सूचीबद्ध विभिन्न गतिविधियों के लिए 19.99 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी, साथ ही पुनरोद्धार आरजीएसए के एक केंद्रीय घटक ई-पंचायत (एमएमपी) पर मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और आरजीएसए-एमआईएस के लिए समर्पित मानव शक्ति के साथ अलग सेल के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई।

<u>एजेंडा-2</u>: विभिन्न प्रकोष्ठों के अंतर्गत जनशक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव

<u>एजेंडा-2 (ए)</u>: संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण करने में जनशक्ति का प्रस्ताव

2(ए).1 मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया गया कि “पंचायतों को प्रोत्साहित करना” संशोधित आरजीएसए का एक केंद्रीय घटक है। इस घटक के तहत पंचायतों को एलएसडीजी के विषयों के तहत उनके कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो उन्हें सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, आवश्यक क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता और अनुभव के साथ समर्पित और विशिष्ट जनशक्ति (संविदात्मक) की आवश्यकता होगी। इसलिए, योजना घटक के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए योजना के तहत जनशक्ति की नियुक्ति की जाएगी। जनशक्ति के चयन के लिए बुनियादी मानदंड और अन्य विवरण अनुबंध-I में हैं। जनशक्ति की नियुक्ति प्रभाग द्वारा आवश्यकता/तात्कालिकता आदि के अनुसार की जाएगी। इस घटक के तहत जनशक्ति (संविदात्मक) की नियुक्ति के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता संशोधित आरजीएसए की उप-योजना “पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण” के तहत बजट शीर्ष से पूरी की जाएगी। इस उप-योजना के अंतर्गत, प्रासंगिक शैक्षिक योग्यता वाले युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं

को नियुक्त करने का भी प्रावधान रखा जाएगा, जिन्हें किसी परियोजना या अभियान की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक "पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" के तहत जनशक्ति की नियुक्ति के लिए इस स्तर पर प्रस्तावित आवश्यकता और उनके संबंधित अनुमानित वित्तीय निहितार्थ इस प्रकार हैं:

i) परामर्शदाता - 03
ii) आईटी विशेषज्ञ - 01
iii) कार्यालय सहायक - 01

उपर्युक्त जनशक्ति को काम पर रखने के लिए संभावित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(वास्तविक आंकड़े रुपये में)

पद का नाम	**रिक्तियों की संख्या**	**मासिक पारिश्रमिक पर (रेंज)**	**2022-23**	**2023-24***	**2024-25***	**2025-26***
परामर्शदाता	03	90,000/- से 1,30,000/-	32,40,000/- 46,80,000/- तक	34,02,000/- से 49,14,000/-	35,72,100/- से 51,59,700/-	37,50,705/- से 54,17,685/-
आईटी विशेषज्ञ	01	50,000/- से 70,000	6,00,000/- 8,40,000/- तक	6,30,000/- 8,82,000/- तक-	6,61,500/- 9,26,100/- तक	6,94,575/- से 9,72,405/-
कार्यालय सहायक	01	36,000/- से 60,000/-	4,32,000/- 7,20,000/- तक	4,53,600/- 7,56,000/- तक-	4,76,280/- 7,93,800/- तक	5,00,094/- से 8,33,490/-
कुल			42,72,000/- 62,40,000/- तक-	44,85,600/- से 65,52,000/-	47,09,880/- से 68,79,600/-	49,45,374/- से 80,57,070/-

(*) इसमें 5% की कार्य निष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।

2(ए).2 सीईसी (एएस एंड एफए) के सदस्य ने पूछा कि क्या पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण के तहत प्रस्तावित जनशक्ति की आवश्यकता मौजूदा जनशक्ति से अलग है या उसी जनशक्ति को पुनर्निर्मित योजना के तहत एब्जार्ब किया जा रहा है। यह बताया गया कि परामर्शदाता-3, आईटी विशेषज्ञ-1 और कार्यालय सहायक-1 के संविदात्मक पदों को "पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण" के तहत बनाने का प्रस्ताव है, जो पहले की योजना के तहत प्रावधानित नहीं था। यह स्पष्ट किया गया कि प्रोत्साहन को पुनर्निर्मित किया जा रहा है और यह ऑनलाइन मोड में होगा, जिसके लिए इसे संभालने के लिए एक आईटी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। इसलिए, एक आईटी विशेषज्ञ को काम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि पंचायतों के प्रोत्साहन के तहत पहले से ही 3 परामर्शदाता काम कर रहे हैं और विभिन्न स्रोतों से लगे हुए हैं, क्योंकि यह पहले की योजना में प्रावधानित नहीं था।

2(ए).3 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और प्रशासनिक सुविधा के लिए संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक पंचायतों के प्रोत्साहन के तहत एक आईटी विशेषज्ञ की नियुक्ति और 3 मौजूदा बाहरी पेशेवर/परामर्शदाताओं के एब्जार्वसन को मंजूरी दी, जो प्रस्तावित पारिश्रमिक (सीमा) और अनुबंध-I में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों पर है। कार्यालय सहायक को मंत्रालय द्वारा आवश्यकतानुसार प्रभाग में रखा जाएगा। इस घटक के तहत जनशक्ति (अनुबंधित) की नियुक्ति के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता को संशोधित आरजीएसए की उप-योजना "पंचायतों के प्रोत्साहन" के तहत बजट शीर्ष से पूरा किया जाएगा।

<u>एजेंडा-2(बी)</u>: संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत एक्शन रिसर्च और प्रचार में जनशक्ति का प्रस्ताव

2(बी).1 सीईसी को अवगत कराया गया कि संशोधित आरजीएसए के तहत "कार्य अनुसंधान और प्रचार" को एक केंद्रीय घटक के रूप में शामिल किया गया है। इस घटक का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान आधारित अध्ययन करना और ग्रामीण जनता / पंचायतों के बीच जागरूकता पैदा करना है, जो संशोधित आरजीएसए की छत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, आवश्यक क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता और अनुभव के साथ समर्पित और विशेषज्ञ जनशक्ति (संविदात्मक) की आवश्यकता है। इसलिए, आईईसी और अनुसंधान आधारित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और निगरानी करने के लिए योजना के घटक के तहत जनशक्ति की नियुक्ति की जाएगी। जनशक्ति (संविदात्मक) का वित्तपोषण संशोधित आरजीएसए की उप-योजना "कार्य अनुसंधान और प्रचार" के तहत बजट शीर्ष से किया जाएगा। जनशक्ति की नियुक्ति प्रभाग द्वारा आवश्यकता / तात्कालिकता आदि के अनुसार की जाएगी। जनशक्ति के चयन के लिए बुनियादी मानदंड और अन्य विवरण अनुबंध-II में हैं। इस उप-योजना के अंतर्गत, प्रासंगिक शैक्षिक योग्यता वाले युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने का भी प्रावधान रखा जाएगा, जिन्हें किसी परियोजना या अभियान की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी के तहत जनशक्ति की प्रस्तावित आवश्यकता और उनके अनुरूप अनुमानित वित्तीय निहितार्थ इस प्रकार हैं:

i) परियोजना समन्वयक - 01
ii) परामर्शदाता - 03
iii) कार्यालय सहायक - 02

उपर्युक्त जनशक्ति को काम पर रखने के लिए संभावित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े वास्तविक रुपये में)

पद का नाम	की संख्या रिक्तियां	श्रेणी	वित्तीय निहितार्थ (वित्त वर्ष के अनुसार)			
			2022-23	2023-24 (*)	2024-25 (*)	2025-26 (*)
परियोजना सह-ऑर्डिनेटर	01	1,00,000/- को 1,50,000/-	12,00,000/- को 18,00,000/-	12,60,000/- 18,90,000 /- तक -	13,23,000/- को 19,84,500/-	13,89,150/- को 20,83,725/-
परामर्शदाता	03	90,000/- को 1,30,000/	32,40,000/- को 46,80,000/	34,02,000/-को 49,14,000/	35,72,100/- को 51,59,700/	37,50,705/- को 54,17,685/

पद का नाम	की संख्या रिक्तियां	श्रेणी	वित्तीय निहितार्थ (वित्त वर्ष के अनुसार)			
			2022-23	2023-24 (*)	2024-25 (*)	2025-26 (*)
		-	-	-	-	-
कार्यालय सहायक	02	36,000/- 60,000/- तक	8,64,000/- 14,40,000 /- तक -	9,07,200/- 15,12,000 /- तक -	9,52,560/- से 15,87,600 / -	10,00,188/ - को 16,66,980/ -
		कुल	53,04,000/ -को 79,20,000/ -	55,69,200/ - को 83,16,000/ -	58,47,660/ - को 87,31,800/	61,40,043/ - को 91,68,390/

(*) इसमें 5% की कार्य निष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।

2(बी).2 सीईसी (एएस एंड एफए) के सदस्य ने फिर पूछा कि क्या "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" के तहत प्रस्तावित जनशक्ति की आवश्यकता मौजूदा जनशक्ति से अधिक है या उसी जनशक्ति को संशोधित योजना के तहत समाहित किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना समन्वयक-1, परामर्शदाता-3 और कार्यालय सहायक-2 के संविदात्मक पदों को "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" के तहत सृजित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा जनशक्ति को उपयुक्त रूप से समाहित किया जाएगा और शेष पदों को खुले बाजार में भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

2(बी).3 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और मंजूरी दी संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" के तहत एक परियोजना समन्वयक और 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति। एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज की पूर्ववर्ती योजना में पहले से काम कर रहे मौजूदा परामर्शदाताओं को प्रस्तावित पारिश्रमिक (सीमा) और अनुबंध में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों पर प्रशासनिक सुविधा के लिए नए केंद्रीय घटक के तहत समाहित किया जाएगा।

II. मंत्रालय द्वारा कार्यालय सहायक की नियुक्ति की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उसे प्रभाग में रखा जाएगा। इस घटक के अंतर्गत जनशक्ति (अनुबंधित) की नियुक्ति के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता को संशोधित आरजीएसए की उप-योजना "कार्य अनुसंधान एवं प्रचार" के अंतर्गत बजट शीर्ष से पूरा किया जाएगा।

एजेंडा - 2(सी): पुनर्गठित आरजीएसए में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) के अंतर्गत संचार प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव:

2(सी).1 सीईसी को बताया गया कि संशोधित आरजीएसए में प्रावधान किया गया है

(कार्यान्वयन ढांचे के पैरा 7.8.4) कि राष्ट्रीय स्तर पर एनपीएमयू के तहत “पुनर्निर्मित आरजीएसए के कार्यान्वयन के दौरान सामने आई आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य विशेष या सामान्य सेल” स्थापित किया जा सकेगा, जिसे पेशेवर समर्थन प्रदान करने के लिए एमओपीआर में रखा जाएगा। इसलिए, केंद्रित और सुव्यवस्थित वीडियो प्रलेखन और प्रसार के लिए एनपीएमयू के तहत एक संचार विशेषज्ञ और दो परामर्शदाताओं वाली एक 'संचार सेल' स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। सीईसी को यह भी अवगत कराया गया कि संशोधित आरजीएसए के सीसीईए नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ परामर्श के दौरान, पीआरआई के इंटरैक्टिव और प्रभावी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) के लिए उभरती हुई तकनीक और ऑडियो विजुअल मार्शल पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया था 'संचार प्रकोष्ठ' के लिए प्रस्तावित मानवशक्ति की संख्या और पारिश्रमिक की सीमा निम्नानुसार है:

(i) संचार विशेषज्ञ - 1
(ii) परामर्शदाता - 2

क्रम सं.	**पद का नाम**	**पारिश्रमिक (सीमा)**
1	संचार विशेषज्ञ (1)	रु.1,50,000- रु.2,00,000

2(सी).2 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और संशोधित आरजीएसए के एनपीएमयू के अंतर्गत एक 'संचार प्रकोष्ठ' स्थापित करने को मंजूरी दी, जिसमें एक विशेषज्ञ और दो परामर्शदाता शामिल होंगे, जैसा कि ऊपर पैरा 2(सी).1 में प्रस्तावित है।

एजेंडा-3: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाएं

3.1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप
3.2 अरुणाचल प्रदेश
3.3 बिहार
3.4 झारखंड
3.5 लद्दाख
3.6 मध्य प्रदेश
3.7 पंजाब
3.8 राजस्थान
3.9 तमिलनाडु
3.10 पश्चिम बंगाल

अनुबंध- I

आरजीएसए (पंचायतों को प्रोत्साहन) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की भर्ती।

आरजीएसए (पंचायतों को प्रोत्साहन) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की आवश्यकता और उनके अनुमानित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(वास्तविक आंकड़े रुपये में)

पद का नाम	संख्या रिक्तियां	महीने के पारिश्रमिक (रेंज)	वित्तीय निहितार्थ (वित्त वर्ष-वार)			
			2022-23	2023-24*	2024-25*	2025-26*
परामर्शदाता	03	90,000/- से 1,30,000/-	32,40,000 /- से 46,80,000 /-	34,02,000 /- से 49,14,000 /-	35,72,100 /- से 51,59,700 /-	37,50,705 /- से 54,17,685 /-
आईटी विशेषज्ञ	01	50,000/- से 70,000	6,00,000/- - 8,40,000 /- तक -	6,30,000/- - 8,82,000 /- तक -	6,61,500/- - से 9,26,100 / -	6,94,575/- से 9,72,405 / -
कार्यालय सहायक	01	36,000/- से 60,000/-	4,32,000/- - 7,20,000 /- तक -	4,53,600/- - 7,56,000 /- तक -	4,76,280/- - से 7,93,800 /- -	5,00,094/- से 8,33,490 / -
कुल			42,72,000 /- को 62,40,000 /-	44,85,600 /- से 65,52,000 /-	47,09,880 /- से 68,79,600 /-	49,45,374 /- से 80,57,070 /-

**इसमें 5% का कार्य निष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।*

<u>मासिक पारिश्रमिक निर्धारण के लिए मानदंड</u>:

(1) परामर्शदाता:

(क) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे ग्रामीणविकास/व्यापार प्रशासनवित्त/सार्वजनिक
प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) में न्यूनतम 4 वर्ष का कार्य अनुभव (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 90,000/- ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

(ख) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे ग्रामीणविकास/व्यापार प्रशासनवित्त/सार्वजनिक
प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) में न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,00,000/- ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

(ग) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे ग्रामीण

विकास/व्यापार प्रशासनवित्त/सार्वजनिक
प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि) में न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,10,000/- ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

(घ) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे ग्रामीणविकास/व्यापार प्रशासनवित्त/सार्वजनिक
प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि में न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,20,000/- ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

(ङ) सामाजिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर/एमबीए/पीजी डिप्लोमा (जैसे ग्रामीणविकास/व्यापार प्रशासनवित्त/सार्वजनिक
प्रशासन/आपदा प्रबंधन आदि में न्यूनतम 12 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को प्राथमिकता दी जाएगी) = रु. 1,30,000/- ई-ऑफिस के कार्यसाधक ज्ञान वाले उम्मीदवार को 10% वेटेज दिया जाएगा।

(2) आईटी विशेषज्ञ:

(क) आईटी क्षेत्र में बी.टेक/एमसीए/पीजी न्यूनतम 2-3 वर्ष का कार्य अनुभव = रु. 50,000/-.
(ख) आईटी क्षेत्र में बी.टेक/एमसीए/पीजी न्यूनतम 3-5 वर्ष का कार्य अनुभव = रु. 60,000/-.
(ग) आईटी क्षेत्र में बी.टेक/एमसीए/पीजी न्यूनतम 5-7 वर्ष का कार्य अनुभव = रु. 70,000/-.

(3) कार्यालय सहायक:

(क) न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले स्नातक या 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले स्नातकोत्तर = रु. 36,000/-.

(ख) स्नातक के पास न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव हो या स्नातकोत्तर के पास न्यूनतम 4 वर्ष का समान कार्य अनुभव हो = रु. 40,000/-.

अन्य प्रावधान:

i. नियोजित कार्मिक कार्य निष्पादन आधारित 5% वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।
ii. छुट्टी: कार्मिक को कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 24 छुट्टियां (आकस्मिक छुट्टी=18, बीमारी के लिए छुट्टी=6) मिलनी चाहिए। कार्मिक को एक वर्ष में 24 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर किसी पारिश्रमिक का पात्र नहीं माना जाएगा (अनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी)। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टियों का संचय नहीं किया जाएगा।
iii. यात्रा: असाइनमेंट में शामिल होने या असाइनमेंट पूरा होने पर वापसी यात्रा के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए, द्वितीय एसी ट्रेन

किराया/हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास) की टीए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। होटल आवास के लिए 2500/- रुपये प्रतिदिन तक का डीए स्वीकार्य है, शहर के भीतर यात्रा के लिए 250/- रुपये प्रतिदिन तक स्थानीय यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति और 350/- रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं के भोजन बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो लागू नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

iv. योग्य उम्मीदवारों के मामले में, चयन के समय प्रभागीय प्रमुख न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक सीमा से अधिक मासिक पारिश्रमिक की भी सिफारिश कर सकते हैं।

श्रेणी के लिए लागू पारिश्रमिक।

v. "पंचायतों को प्रोत्साहित करने" की योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, योजना के व्यावसायिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अनुसार, युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया जा सकता है।

vi. क्षेत्रीय दौरों (टीए एवं डीए), प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं आदि से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए योजना के व्यावसायिक शीर्ष के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है।

vii. मातृत्व लाभ अधिनियम: महिला कर्मचारी समय-समय पर संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व अवकाश लाभ के लिए पात्र होंगी।

*****

अनुबंध- II

आरजीएसए (कार्य अनुसंधान एवं प्रचार) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की भर्ती

आरजीएसए (कार्य अनुसंधान एवं प्रचार) के केंद्रीय घटकों के अंतर्गत जनशक्ति की आवश्यकता और उनके अनुमानित वित्तीय निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(वास्तविक आंकड़े रुपये में)

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	मासिक पारिश्रमिक (रेंज)	वित्तीय निहितार्थ (वित्त वर्ष के अनुसार)			
			2022-23	2023-24 (*)	2024-25 (*)	2025-26 (*)
परियोजना समन्वयक	01	1,00,000/- से 1,50,000/-	12,00,000 /- को 18,00,000 /-	12,60,000 /- से 18,90,000 /-	13,23,000 /- को 19,84,500 /-	13,89,150 /- को 20,83,725 /-
परामर्शदाता	03	90,000/- से 1,30,000/-	32,40,000 /- से 46,80,000 /-	34,02,000 /- से 49,14,000 /-	35,72,100 /- से 51,59,700 /-	37,50,705 /- से 54,17,685 /-
कार्यालय सहायक	02	36,000/- से 60,000/-	8,64,000/- - 14,40,000 तक /-	9,07,200/- - 15,12,000 तक /-	9,52,560/- - 15,87,600 तक /-	10,00,188 /- को 16,66,980 /-
कुल			53,04,000 /-से 79,20,000 /-	55,69,200 /- से 83,16,000 /-	58,47,660 /- को 87,31,800 /-	61,40,043 /- को 91,68,390 /-

(*) इसमें 5% की कार्यनिष्पादन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि शामिल है।

<u>मासिक पारिश्रमिक निर्धारण के लिए मानदंड</u>:

(I) कार्रवाई पर शोध:

परियोजना समन्वयक:

(क) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए, न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,00,000/-.

(ख) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए, न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,10,000/-.

(ग) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए, न्यूनतम 12 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,20,000/-.

(घ) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए, न्यूनतम 14 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,30,000/-.

परामर्शदाता:

(क) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए, न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,00,000/-.

(ख) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए के साथ न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,10,000/-.

(ग) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए, न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,20,000/-.

(घ) सामाजिक क्षेत्र (जैसे ग्रामीण विकास, आदि) में स्नातकोत्तर / एमबीए, न्यूनतम 12 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,30,000/-.

(II) मीडिया:

परामर्शदाता:

(क) किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा / पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ न्यूनतम 6 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,00,000/-।

(ख) किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा / पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,10,000/-।

(ग) किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा / पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा) = रु. 1,20,000/-।

(घ) किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा / पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ न्यूनतम 12 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव (केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों में ई-ऑफिस के साथ अनुभव को 10% वेटेज दिया जाएगा)
= रु. 1,30,000/-.

(III) एक्शन रिसर्च एवं पब्लिसिटी

कार्यालय सहायक:

(क) स्नातक जिसके पास कार्य अनुभव हो (केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्य अनुभव) / मंत्रालयों में ई-ऑफिस वाले उम्मीदवारों को 10% वेटेज दिया जाएगा) न्यूनतम 5 वर्ष या स्नातकोत्तर जिनके पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो = रु. 36,000/-.

(ख) स्नातक जिसके पास कार्य अनुभव हो (केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्य अनुभव) / मंत्रालयों में ई-ऑफिस वाले उम्मीदवारों को 10% वेटेज दिया जाएगा) न्यूनतम 6 वर्ष या स्नातकोत्तर न्यूनतम 4 वर्ष का समान कार्य अनुभव = रु. 38,000/-।

वरिष्ठ कार्यालय सहायक:

(ग) स्नातक जिसके पास कार्य अनुभव हो (केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्य अनुभव) / मंत्रालयों में ई-ऑफिस वाले उम्मीदवारों को 10% वेटेज दिया जाएगा) न्यूनतम 10 वर्ष या स्नातकोत्तर के साथ न्यूनतम 6 वर्ष का समान कार्य अनुभव और कंप्यूटर में डिप्लोमा = रु. 40,000/-।

(घ) स्नातक जिसके पास कार्य अनुभव हो (केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्य अनुभव) / मंत्रालयों में ई-ऑफिस वाले उम्मीदवारों को 10% वेटेज दिया जाएगा) न्यूनतम 10 वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव या स्नातकोत्तर जिसके पास 12 वर्ष या उससे अधिक का समान कार्य अनुभव हो और साथ ही कंप्यूटर में डिप्लोमा = रु. 42,000/-।

अन्य प्रावधान:

i. नियोजित कार्मिक कार्य निष्पादन आधारित 5% वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।
ii. छुट्टी: कार्मिक को कैलेंडर वर्ष में आनुपातिक आधार पर 24 छुट्टियां (आकस्मिक छुट्टी=18, बीमारी छुट्टी=6) मिलनी चाहिए। कार्मिक को एक वर्ष में 24 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर किसी पारिश्रमिक का पात्र नहीं माना जाएगा (अनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी)। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टियों का संचय नहीं किया जाएगा।
iii. यात्रा: असाइनमेंट में शामिल होने या असाइनमेंट पूरा होने पर वापसी यात्रा के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए, द्वितीय एसी ट्रेन किराया/हवाई किराया (इकोनॉमी क्लास) की टीए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी। होटल आवास के लिए 2500/- रुपये प्रतिदिन तक का डीए स्वीकार्य है, शहर के भीतर यात्रा के लिए 250/-

रुपये प्रतिदिन तक स्थानीय यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति और 350/- रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं के भोजन बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो लागू नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

iv. योग्य अभ्यर्थियों के मामले में, चयन के समय प्रभागीय प्रमुख, श्रेणी के लिए लागू मासिक पारिश्रमिक की न्यूनतम सीमा से अधिक मासिक पारिश्रमिक की भी सिफारिश कर सकते हैं।

v. "कार्यात्मक अनुसंधान एवं प्रचार" योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, योजना के व्यावसायिक शीर्ष के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अनुसार, युवा पेशेवरों और प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया जा सकता है।

vi. क्षेत्रीय दौरों (टीए एवं डीए), प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं आदि से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए योजना के व्यावसायिक शीर्ष के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है।

vii. मातृत्व लाभ अधिनियम: महिला कर्मचारी समय-समय पर संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व अवकाश लाभ के लिए पात्र होंगी।

viii. पंचायती राज मंत्रालय में कार्यरत मौजूदा कार्मिक, जो विज्ञापनों/नौकरी के पदों के जवाब में नए सिरे से आवेदन करते हैं, उन्हें नियुक्ति के उद्देश्य से नए उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।

*****

अनुबंध-III केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बजट सारांश - वित्त वर्ष - 2022-23

(करोड़ रुपए में)

क्रम. नहीं।	**घटक**	**अनुशंसित राशि सीईसी**
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (861प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (0 ई.आर./पी.एफ.)	0.31
ख	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (2078 प्रतिभागी)	0.37
ग	विषयगत प्रशिक्षण (3359 प्रतिभागी)	0.48
घ	विशेष प्रशिक्षण (1611 प्रतिभागी)	0.70
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (20 प्रतिभागी)	0.01
च	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, एक्सपोजर विजिट (बाहरी राज्यों के 30 प्रतिभागी), 2 पीएलसी, जीपी को सहायता प्रदान करना - 70)	0.727
	सीबीएंडटी का कुल योग	**2.597**
2.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
	कुल (आवर्ती लागत)	**0.84**
3.	**सैटकॉम या आईपी-आधारित माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा तकनीकी**	**1.00**
4.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.142
ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (2 डीपीएमयू)	0.176
ग	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (7 बीपीएमयू)	0.224
	पीएमयू की कुल संख्या	**0.542**
	उप कुल	**4.979**
7.	**आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)**	0.099
8.	**पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)**	0.075
	कुल योजना	**5.153**

<u>अरुणाचल प्रदेश 2022-23 का बजट सारांश कार्यवृत्त</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	**घटक**	**अनुशंसित राशि सीईसी द्वारा**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (310 प्रतिभागी)/पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (शून्य)	0.1395
ii	पंचायत विकास योजना (1252 प्रतिभागी)	1.1375
iii.	विषयगत प्रशिक्षण - (11400 भाग)	3.42
iv.	विशेष प्रशिक्षण (1021 भाग)	0.619
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (2 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम @30 प्रतिभागी प्रत्येक) **30 दिन की अवधि**)	0.45
vi	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (2233 हैंडहोल्डिंग, 140(5बार)टीएनए, 10 प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, 10 प्रशिक्षण और सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का विकास, ईवी (700 के अंदर, 150 के बाहर), 23 पीएलसी, 1- सीबीएंडटी का मूल्यांकन, 250 एमटी का अतिरिक्त प्रशिक्षण, कार्यशाला: शून्य	8.97225
	सीबीएंडटी का कुल योग	**14.73825**
2	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
i	डीपीआरसी कंस्ट्रक्शन (केवल एनई 12 नंबर डीपीआरसी कंस्ट्रक्शन, 11 के लिए) सं. डीपीआरसी (किराए पर डीपीआरसी)	24.69785
ii	किराये के भवन पर बीपीआरसी (शून्य नई बीपीआरसी)	0.0
2.	**संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या**	**24.69785**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1-एसोसिएट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 8-प्रशासनिक कर्मचारी) 2ड्राइवर सहित)	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (50 विषयगत विशेषज्ञ, 25 टीए, 25 खाता और एमआईएस असिस्टेंट, 25 एमटीएस)	5.00
iii.	बीपीआरसी आवर्ती लागत	0.0
3.	**कुल (आवर्ती लागत)**	**5.84**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा तकनीकी**	**0.0**

5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)**	
i	पीबी (800 पीबी न्यू) और 139 कैरी ओवर (2 के लिए 67 सीओ) का निर्माणराकिस्त + 72 सीओ). कुल 939 पीबी. (ध्यान दें कि 306 पीबी (145+161) के लिए पूरी राशि दी गई है।)	181.10
ii	सीएससी 800 नए सीएससी और 139 कैरी ओवर (2 के लिए 67 सीओ) का सह-स्थानराकिस्त + 72 सीओ). कुल 939 सीएससी (ध्यान दें कि 306 सीएससी (145+161) के लिए पूरी राशि दी गई है।)	44.22
iii.	पीबी कैरी ओवर की मरम्मत (शून्य कैरी ओवर)	0.0
	पीआई का कुल	**225.32**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) (राज्य परियोजना प्रबंधक, राज्य समन्वयक (ई.जीओवी), वित्तीय परामर्शदाता, डीईओ एवं एमआईएस विशेषज्ञ/डेटा इंजीनियर/विश्लेषक)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (जिला परियोजना प्रबंधक, जिला समन्वयक (ई.जीओवी), डीईओ और एमआईएस विशेषज्ञ 25 के लिए ज़िला)	2.70
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	0
	पीएमयू की कुल संख्या	**2.964**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (442 CO+358 नया)	**4.0**
	ई.सक्षमता का कुल	**4.0**
	उप कुल	**277.5601**
10	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	5.551202
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	4.163401 5
	कुल योजना	**287.2747**

बिहार बजट 2022-23 का सारांश विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	**घटक**	**अनुशंसित राशि सीईसी द्वारा**
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क	सामान्य अभिमुखीकरण (256322 प्रतिभागी)	74.645
ख	पंचायत विकास योजना (179153 प्रतिभागी)	18.229
ग	विषयगत प्रशिक्षण - (1178315 भाग)	119.382
घ	विशेष प्रशिक्षण (59384 भाग)	10.142
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (153551 भाग)	25.084
च	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (4000 हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास और सामग्री, ईवी (300 के अंदर, 120 के बाहर), 5 पीएलसी, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, एमटी का अतिरिक्त प्रशिक्षण 18)	9.277
	सीबीएंडटी का कुल योग	**256.759**
2	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
क	जिले में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर लेना **स्तर**	0.19
ख	ब्लॉक में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर लेना **स्तर**	2.269
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**2.459**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख	डीपीआरसी आवर्ती लागत (38 डीपीआरसी)	7.60
	कुल (आवर्ती लागत)	**8.44**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा तकनीकी** (39 एसआईटी (1 एसपीआरसी और 38 डीपीआरसी)	**0.585**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)**	
क	पीबी का निर्माण (500 कैरी ओवर)	100
ख	सीएससी का सह-स्थान या कैरी ओवर (250 कैरी ओवर)	10.00
	पीआई का कुल	**110.00**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) (38 **जिले)**	4.104
ग	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) 533 ब्लॉक	25.584
	पीएमयू की कुल संख्या	**29.952**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
क	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (267 यूनिट (सीओ) @ 40,000/-)	1.068

	ई.सक्षमता का कुल	**1.068**
	उप योग	**409.263**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	8.185
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	6.138
	कुल योजना	**423.586**

झारखंड बजट 2022-23 का सारांश विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	घटक	मात्रा सीईसी द्वारा अनुशंसित
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (63911प्रतिभागी)	30.49
ii	पंचायत विकास योजना (60989 प्रतिभागी)	15.45
iii.	विषयगत प्रशिक्षण - (22644 प्रतिभागी)	11.01
iv	विशेष प्रशिक्षण (29640 प्रतिभागी)	8.09
v	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	16.11
	सीबीएंडटी का कुल योग	**81.15**
2	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
i	जिले में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को किराये पर लेना **स्तर**	0.44
ii	किराये के भवन पर बीपीआरसी (100 संख्या)	2.40
iii.	ब्लॉक में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को किराये पर लेना **स्तर**	0.18
2.1	**संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या**	**3.02**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
iv	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.60
v	डीपीआरसी आवर्ती लागत (24 डीपीआरसी के लिए)	3.16
vi	बीपीआरसी आवर्ती लागत (264 बीपीआरसी के लिए)	7.39
3.	**कुल (आवर्ती लागत)**	**11.15**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा प्रौद्योगिकी (1 स्टूडियो और 50 एसआईटी के लिए)**	**1.75**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)**	
iv	पीबी (150 पीबी) की मरम्मत	6.00
v	सीएससी (150) का सह-स्थान आगे ले जाना	6.00
5.1	**पीआई का कुल**	**12.00**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.21
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)(24 के लिए) डीपीएमयू)	2.16
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) 264 बीपीएमयू के लिए)	8.23
6.	**पीएमयू की कुल संख्या**	**10.60**

7	**पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन (16 पेसा जिलों के लिए)**	**2.41**
8	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
ii	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (240 कैरी ओवर के रूप में)	**0.96**
8.	**ई.सक्षमता का कुल**	**0.96**
	अन्य घटकों का योग	
		123.04
9	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	2.46
10	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.84
	कुल योजना	**127.34**

एसपीआर की टिप्पणी:-

i. **एसपीआर ने सीईसी से अनुरोध किया कि वह सभी ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे।**

ii. **राज्य को आर्थिक विकास और नवाचारों के लिए समर्थन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और उसे ग्राम ऊर्जा स्वराज में अपलोड करना होगा।**

iii. **राज्य ने राज्यों में पेसा के मसौदा नियम की स्थिति साझा की है, जिसमें एसपीआर ने राज्य को अलग से स्थिति को अद्यतन करने के लिए कहा है।**

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का बजट सारांश - वित्त वर्ष 2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	अनुशंसित राशि सीईसी
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क	सामान्य अभिमुखीकरणप्रशिक्षण (0 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (224ईआर/पीएफ)	0.10
ख	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (4674 प्रतिभागी)	1.248
ग	विषयगत प्रशिक्षण (1949 प्रतिभागी)	0.438
घ	विशेष प्रशिक्षण (3188 प्रतिभागी)	0.779
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (164 प्रतिभागी)	0.082
च	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (हैंडहोल्डिंग-193, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (583 प्रतिभागियों के बाहर), 10 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत में 8 एमटी क्षेत्र)	4.0
	सीबीएंडटी का कुल योग	**6.647**
2.	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
क	किराये के भवन में एस.पी.आर.सी.	0.09
ख	किराये के भवन में डी.पी.आर.सी.	0.12
ग	किराये के भवन में बीपीआरसी	0.36
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**0.57**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख	डीपीआरसी आवर्ती लागत (2 डीपीआरसी)	0.384
ग	बीपीआरसी आवर्ती लागत (10 बीपीआरसी)	0.42
	कुल (आवर्ती लागत)	**1.644**
4.	**सैटकॉम या आईपी-आधारित माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा प्रौद्योगिकी (स्टेट-1, एसआईटी-1, और रखरखाव में स्टूडियो)**	**2.504**
5.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.258
ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (2 डीपीएमयू)	0.216
ग	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (31 बीपीएमयू)	1.488
	पीएमयू की कुल संख्या	**1.962**
6.	**पंचायतों के कंप्यूटर का ई-सक्षमीकरण (63 ग्राम पंचायतों के लिए)**	**0.315**
	उप कुल	**13.642**
7.	**आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)**	**0.272**
8.	**पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)**	**0.204**
	कुल योजना	**14.118**

मध्य प्रदेश राज्य का बजट सारांश – वित्तीय वर्ष - 2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	अनुशंसित राशि सीईसी
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (395549प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (0- ईआर/पीएफ)	83.58
ख	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (1047840 प्रतिभागी)	98.02
ग	विषयगत प्रशिक्षण (414198 प्रतिभागी)	82.84
घ	विशेष प्रशिक्षण (171714 प्रतिभागी)	19.46
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (5237 प्रतिभागी)	1.05
च	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के अंदर 4000 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 2500 प्रतिभागी), 9 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 2817 एमटी, जीपी को सहायता प्रदान करना- 10000)	27.3
	सीबीएंडटी का कुल योग	**312.25**
2.	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
क	किराये के भवन में एस.पी.आर.सी.	0.00
ख	किराये के भवन में डीपीआरसी (30 जिसमें 20 पीईएसए और 10 अधिकतम शामिल हैं) आंतरिक जिले)	1.80
ग	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरण किराये पर लेना	0.05
घ	किराये के भवन में बीपीआरसी (150 जिसमें 89 पीईएसए और 61 सर्वाधिक शामिल हैं) आंतरिक ब्लॉक)	5.40
ङ	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराये पर लेना	2.78
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**10.03**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.56
ख	डीपीआरसी आवर्ती लागत (41 डीपीआरसी - 30 नए, 6 ईटीसी और 5 पीटीसी)	8.41
ग	बीपीआरसी आवर्ती लागत (150 बीपीआरसी)	6.30
	कुल (आवर्ती लागत)	**15.27**
4.	**सैटकॉम या आईपी-आधारित माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा प्रौद्योगिकी (कैरी ओवर)**	**5.53**
5.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26

ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (52 डीपीएमयू)	5.62
ग	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (313 बीपीएमयू)	15.02
	पीएमयू की कुल संख्या	**20.90**
6.	**पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन**	**30.04**
7.	**अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)**	
	आर्थिक विकास और आय वृद्धि (अतिरिक्त लाभ) गतिविधियाँ)	8.65
	अन्य घटकों का योग	**8.65**
	उप कुल	**402.67**
8.	**आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)**	8.05
9.	**पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)**	6.04
	कुल योजना	**416.76**

पंजाब बजट 2022-23 का सारांश कार्यवृत्त

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	घटक	मात्रा सीईसी द्वारा अनुशंसित
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
i	पंचायत विकास योजना (154893 प्रतिभागी)	28.239
ii	विषयगत प्रशिक्षण - (93441 प्रतिभागी.)	9.474
iii.	विशेष प्रशिक्षण (6200 प्रतिभागी)	0.737
iv	कोई अन्य प्रशिक्षण (300 प्रतिभागी)	0.075
v	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ	30.08
	सीबीएंडटी का कुल योग	**68.60**
2	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
i	ब्लॉक में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर लेना **स्तर**	0.374
2.	**संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या**	**0.374**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत(23 डीपीआरसी के लिए)	1.702
iii.	बीपीआरसी आवर्ती लागत (154 बीपीआरसी के लिए)	4.92
3.	**कुल (आवर्ती लागत)**	**7.462**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा राज्य स्तर पर 1 स्टूडियो और 3 मैनपावर के लिए प्रौद्योगिकी)**	**1.108**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)**	
i	पीबी (259 पीबी) का निर्माण कार्य जारी	51.80
5.1	**पीआई का कुल**	**51.80**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) के लिए 23 डीपीएमयू	2.428
iii.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)(154 के लिए) बीपीएमयू)	7.392
6.	**पीएमयू की कुल संख्या**	**10.084**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
i	स्थानीय भाषा में आवेदनों का अनुवाद	**0.05**
7.	**ई.सक्षमता का कुल**	**0.05**
8	**अन्य घटकों का योग**	**139.47**

10	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	2.78
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.09

I. एसपीआर ने सीईसी से अनुरोध किया कि वह सभी ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे।

II. राज्य को आर्थिक विकास और नवाचारों के लिए समर्थन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है

III. राज्य ने राज्य में 15वें वित्त आयोग के भुगतान में समस्याएँ उठाई हैं। राज्य जनसंपर्क अधिकारी ने संबंधित विभाग को इस पर ध्यान देने और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने को कहा है।

<u>राजस्थान बजट 2022-23 का सारांश विवरण कार्यवृत्त</u>

(राशि **करोड़ रुपये में**)

क्रम सं.	घटक	अनुशंसित राशि सीईसी द्वारा
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (194981 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (81478 ईआरएस जीपी)	45.465
ii	पंचायत विकास योजना (73186 प्रतिभागी)	12.105
iii	विषयगत प्रशिक्षण - (46334 भाग)	7.019
iv	PESA विशेष प्रशिक्षण (23646 भाग)	4.105
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (19006 भाग में प्रस्तावित अन्य प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां शामिल हैं)	2.532
vi	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (352 हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, ईवी (1155 के भीतर, 300 के बाहर), 5 पीएलसी, का मूल्यांकन सीबीएंडटी, एमटी का अतिरिक्त प्रशिक्षण 2842)	9.988
	सीबीएंडटी का कुल योग	**81.214**
2	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
i	डीपीआरसी कंस्ट्रक्शन किराए पर ली गई इमारत (3 यूनिट)	0.18
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.045
iii	किराये के भवन पर बीपीआरसी (57 इकाई)	2.052
iv	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.168
2. 1	**संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या**	**2.445**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (33 डीपीआरसी)	6.60
iii	बीपीआरसी आवर्ती लागत (295 कार्यात्मक बीपीआरसी)	12.39
3.	**कुल (आवर्ती लागत)**	**19.83**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा प्रौद्योगिकी (स्टूडियो और एसआईटी)**	**1.05**
5	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)**	
i	पीबी का निर्माण (43 कैरी ओवर)	8.60
ii	पीबी की मरम्मत (180 कैरी ओवर)	7.20
iii	सीएससी का सह-स्थान (177 कैरी ओवर@4 लाख)	7.08
	पीआई का कुल	**22.88**
6	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.176
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (25 डीपीएमयू)	2.152
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (297 बीपीएमयू)	10.164
	पीएमयू की कुल संख्या	**12.492**
7	**पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन**	**7.468**
8	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) **	0

	ई.सक्षमता का कुल	**0**
	उप योग	**147.379**
10	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	2.947
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.21
	कुल योजना	**152.536**

*सीबीएंडटी के अन्य घटक के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण, किसी अन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत विचार किया गया

**** राज्य ने कंप्यूटर का प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन सीईसी की बैठक के दौरान राज्य ने संकेत दिया कि इस घटक के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।**

राज्य का बजट सारांश - तमिलनाडु - वित्त वर्ष - 2022-23

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	**घटक**	**अनुशंसित राशि सीईसी**
1.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
क	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (प्रतिभागी)/ रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (0- ई.आर./पी.एफ.)	0
ख	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (100267) प्रतिभागियों)	0.26
ग	विषयगत प्रशिक्षण (100230 प्रतिभागी)	30.097
घ	विशेष प्रशिक्षण (9786 प्रतिभागी)	4.917
ङ	कोई अन्य प्रशिक्षण (11638 प्रतिभागी)	6.955
च	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, एक्सपोजर विजिट (10 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत रूप से 200 एमटी) क्षेत्र, जीपी को सहायता प्रदान करना-776)	2.75
	सीबीएंडटी का कुल योग	**44.98**
2.	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
क	प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरण किराये पर लेना **ब्लॉक स्तर**	0.466
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**0.466**
3.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
क	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
ख	डीपीआरसी आवर्ती लागत (37 डीपीआरसी)	5.55
ग	बीपीआरसी आवर्ती लागत (0 बीपीआरसी)	0.00
	कुल (आवर्ती लागत)	**6.39**
4.	**सैटकॉम या आईपी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा-आधारित प्रौद्योगिकी (कैरी ओवर)**	**3.88**
5.	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (पीआई)**	
क	सीएससी का सह-स्थान (460 सीओ)	23.00
	पीआई का कुल	**23.00**
6.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
क	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ख	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (37 डीपीएमयू)	3.55
ग	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (388 बीपीएमयू)	18.26
	पीएमयू की कुल संख्या	**22.44**
	उप कुल	**101.156**

8.	**आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)**	2.023
9.	**पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)**	1.517

नोट:- एसपीआर ने राज्य को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नवाचार के लिए समर्थन के तहत अनुमोदित परियोजना की स्थिति और प्रगति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

<u>पश्चिम बंगाल बजट 2022-23 का सारांश मिनट</u>

(राशि **करोड़ रुपये में)**

क्रम सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित धनराशि
1	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण**	
vii	सामान्य अभिमुखीकरण (537 प्रतिभागी)	0.242
viii	पंचायत विकास योजना (2,28,288प्रतिभागी)	24.04
ix.	विषयगत प्रशिक्षण - (83971 प्रतिभागी)	26.70
x	विशेष प्रशिक्षण(35948 प्रतिभागी)	4.62
xi.	कोई अन्य प्रशिक्षण (98378 प्रतिभागी)	13.48
xii	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री का विकास, 630 के भीतर) राज्य एवं 100 राज्य से बाहर, मूल्यांकन, 9 पीएलसी {1 सीओ + 8 नए} एवं अतिरिक्त मास्टर ट्रेनर)	2.03
	सीबीएंडटी का कुल योग	**71.12**
2	**संस्थागत बुनियादी ढांचा**	
i	डीपीआरसी किराये पर ली गई इमारत (5 डीपीआरसी)	0.30
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरण किराये पर लेना (5 डीपीआरसी)	0.06
iii	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की खरीद (345 बीपीआरसी)	0.27
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल संख्या	**0.63**
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.84
	डीपीआरसी आवर्ती लागत	5.20
	बीपीआरसी आवर्ती लागत	13.02
	कुल (आवर्ती लागत)	**19.06**
4	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा** **सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति और प्रौद्योगिकी का कोई भी वैकल्पिक तरीका** **(कुल 122 इकाइयाँ = 100 ब्लॉक और 22 जिले)**	**9.72**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.22
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	2.04
iii.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	5.453

	पीएमयू की कुल संख्या	**7.713**
6	**अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)**	
i	नवाचार परियोजना (1 परियोजना आगे बढ़ाई जाएगी) (यह परियोजना 3227 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 1 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 22. वित्तीय वर्ष 21-22 में 22 लाख रूपये व्यय किये गये, शेष 78.00 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 22-23 में बकाया है।	**0.78**
ii	आर्थिक विकास और आय वृद्धि, कुल परियोजनाएँ = 6. 6 आर्थिक परियोजनाएं आगे बढ़ाई गईं।	**6.95**
	अन्य घटकों का योग	**7.73**
	उप योग	**115.973**
8	आईईसी (अनुमोदित योजना आकार का 2% तक)	2.32
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.74
	कुल योजना	**120.03**

नोट:- संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल ने बताया कि राज्य ने 23.03.2021 के DoE के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर लिया है और बहुत जल्द ही व्यय किया जाएगा। और 22 अक्टूबर तक वे पहली किस्त के लिए आएंगे।

प्रतिभागियों की सूची

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	मंत्रालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सम्पर्क करने का विवरण (मोबाइल, ई-मेल आदि)
1.	श्री नवीन शाह, संयुक्त सचिव	ग्रामीण मंत्रालय विकास	9906768355 jk099@ifs.nic.in
2.	श्री चंदना, अनुसंधान अधिकारी	नीति आयोग	9958461499 chandana.ganta@nic.in
3.	श्री संगत बिस्वास, कॉम/सचिव	आरडी एंड पीआर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	9419165917
4.	श्री रामेन्द्र प्रताप शुक्ला, उप सचिव	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	9891789170 rp.shukla67@nic.in
5.	श्री जतिंदर सिंह बराड़, उप निदेशक	ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पंजाब सरकार	9814067251 jatinder.brar@punjab.gov.in
6.	श्री नवीन जैन, सचिव	पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार	9929204300 n_j2@rediffmail.com
7.	सुश्री रूबी कुमारी, पीएमयू लीड	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	9431029386 ruby.xiss11@gmail.com
8.	श्री एस.आर.मीणा, संयुक्त सचिव	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	9660218000
9.	सुश्री पी. लक्ष्मी राणा,	एनआईसी	9873122332
10.	सुश्री कल्पना कुमारी	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार	9798849712 kalpana9973@gmail.com
11।	श्री सैमुअल इनबादुराज, निदेशक एवं नोडल अधिकारी आरजीएसए	एसआईआरडी एवं पीआर, तमिलनाडु विभाग	9384850167 sirdtn@gmail.com

12.	डॉ. नारायण साहू, उप निदेशक, सीनियर संकाय	पीआर एवं डीपी, अरुणाचल प्रदेश सरकार	
13.	श्री मिहिर क्र. सिंह, प्रधान सचिव	के विभाग पंचायती राज, सरकार. बिहार का	
14.	ईआर. नबाम राजेश, उप निदेशक (आरई)	एसएनओ आरजीएसए (पीआर), अरुणाचल प्रदेश सरकार	9456222178 nabamrajesh1008@gmail.com
15.	श्री आलोक सिंह, संचालक पंचायत,	मध्य प्रदेश सरकार	9428176830
16.	सुश्री शिवानी वर्मा, संयुक्त निदेशक	निदेशालय पंचायती राज	9424083938
17.	सुश्री राजेश्वरी बी., मनरेगा आयुक्त एवं निदेशक	झारखंड सरकार	6203649253 panchayat-jhr@nic.in
18.	श्री आर. सुधाकर राव, एएओ, रेजिडेंट कार्यालय आयुक्त	अंडमान और निकोबार प्रशासन	7303341980 sudha2010pb@gmail.com